

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 मार्च 2022—फालुन 17, शक 1943

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2022

क्र. एफ-35-15-2009-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का आदेश जारी दिनांक तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है :—

अनुसूची

राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं से संबंधित समस्त कार्यों के लिये नियुक्त किये गये कर्मी (पर्सोनल).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मीना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2022

क्र. एफ-35-15-2009-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 मार्च 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मीना, उपसचिव.

Bhopal, the 8th March 2022

F. No. 35-15-2009-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from the date of issue of order for a period of three months :—

SCHEDULE

“Personnel appointed for all the works related to the examinations of the Board of Secondary Education in the State”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H. S. MEENA, Dy Secy.